डी0सी0एल0 / सी0सी0एल0 / बैंकों में जमा धनराशि / पी0एल0ए0

विषय सूची

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	9 नवम्बर, 2000 के बाद जमा धनराशि पर जमा साख–सीमा(डी0सी0एल0) तथा नकद साख–सीमा (सी0सी0एल0)व्यवस्था के संबंध में	सं0 005 / अ0स0वि0 (कैम्प) / 2001 दिनांक 03 जनवरी, 2001	**499–502**
2.	विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात नियंत्रकों को सी0 सी0 एल0 निर्गत करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन	सं0 615 / वि0अनु0–3 / 2002, दिनांक 13 नवम्बर, 2002	**503–506**
3.	साख–सीमा के समक्ष चैक द्वारा आहरण करने वाले विभागों (वर्क्स डिपार्टमेन्ट) के सी0सी0एल0 के सापेक्ष व्यय का नियमित रूप से एवं निर्धारित समय में उपलब्ध कराया जाना	सं0 284 / **xxvii**(1) / 2007 दिनांक 08 मई, 2007	**507–510**
4.	विभागों में शासकीय धनराशि को जमा करने के लिए पी0एल0ए0 खोला जाना	सं0 277 / **xxvii**(1) / 2010 दिनांक 01 जून, 2010	**511–512**
5.	वित्त नियंत्रक को सी0सी0एल0 निर्गत करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्बन्धी आदेश का स्पष्टीकरण	सं0ब–234 / **x**–2–2010–12 (20) / 2010 दिनांक 28 अगस्त, 2010	**513–514**
6.	राज्य सरकार के निगमों , उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं / संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन	सं0 476 / **xxvii**(1) / 2010 दिनांक 08 सितम्बर, 2010	**515–516**
7.	राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक, क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन	सं0 642 / **xxvii**(1) / 2010 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010	**517–518**

संख्या 005 / अ.स.वि(कैम्प) / 2001

प्रेषक,

के0सी0 मिश्र,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराचंल शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 3 जनवरी 2001

विषयः— 9 नवम्बर, 2000 के बाद जमा धनराशि पर जमा साख सीमा (डी0सी0एल0) तथा नकद साख सीमा (सी0सी0एल) व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 0002 / कैम्प / स0वि0 / बजट / 2000—2001 दिनांक 10 नवम्बर 2000 के प्रस्तर—4 में वित्तीय नियम संग्रह 6 एवं 7 के प्राविधानों को स्थगित करते हुये मुख्य लेखा शीर्षक 8782 नकद सम्प्रेषण के अधीन होने वाले व्यवहार को आवंटित बजट की सीमा में बिल प्रस्तुत कर कोषागारों के माध्यम से आहरण करने के निर्देश दिये गये थे।

2— "उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर—4 को संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 9 नवम्बर 2000 या उसके बाद बाह्य एजेन्सी या अन्य विभागों के डी0सी0एल0 की जमा धनराशि पूर्व की भांति कार्यदायी संस्था द्वारा (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण, वन आदि) पूर्व की भांति कोशागार से चैक प्राप्त कर औपचारिक आवंटन के बाद आवंटित धनराशि की सीमा तक भुगतान करेगें तथा विस्तृत एवं संकलित लेखा महालेखाकार को उपलब्ध करायेगें। जिन विभागों में अधिष्ठान से भिन्न वृहद निर्माण, लघु निर्माण, अनुरक्षण जैसे मानक मद हेतु राज्य के समेकित निधि तथा सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन साख सीमा निर्गत करने की प्रक्रिया थी वह तत्काल प्रभाव से पूर्व घेषित प्रक्रिया के अधीन साख सीमा निर्गत होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्व से महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत एवं वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय पूर्व से आवंटित कोड़ सम्बन्धित प्रखण्ड / प्रभाग भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही कर सीधे महालेखाकार को बजट साहित्य में दर्शाये गये लेखा शीर्षक के स्तरों के अनुरुप विस्तृत लेखा भेजेगें:—

(क) साख सीमा आवंटन के साथ प्रत्येक प्रखण्ड / प्रभाग को मात्र धनराशि सूचित करने के बजाय बजट साहित्य में उल्लिखित अनुदान संख्या आयोजनेत्तर / आयेजनागत मुख्य लेखा शीर्षक से मानक मद स्तर तक के विवरण के बाद धनराशि दर्शायी जाय। यदि अनेक योजना / उप योजना की धनराशि की साख सीमा एक साथ एक प्रखण्ड / प्रभाग को जारी करना हो तब लेखा शीर्षक के स्तरों को अलग अलग दर्शायें एवं उसमें निहित धनराशि अलग—अलग लिखने के बाद सम्पूर्ण धनराशियों का योग लिखकर उक्त सीमा तक साख सीमा सम्बन्धित कोषागार को सूचित की जाय। इस प्रकार के आवंटन प्राप्त होने पर कोषाधिकारी का दायित्व होगा कि वह विधायिका द्वारा पारित बजट जो कम्प्यूटर पर उपलब्ध होता है अतः उक्त डिवीजन की साख सीमा बैंक को सूचित करने के पूर्व

कम्प्यूटर से लेखा शीर्षक का मिलान करेगें। यदि लेखा शीर्षक सही न पाये जाये तब साख सीमा निर्गत करने वाले अधिकारी को लेखा शीर्षक की कमी का विवरण देते हुये आवंटन आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस कर देगें।

(ख) साख सीमा की धनंराशि से चैक निर्गत करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्रों पर औपचारिकता पूरा किया जाय, विधिगत कटोतियां सुनिश्चित की जाय, अभिलेख तैयार करने के साथ यह अनिवार्यता होगी कि साख सीमा में से बिल की सकल धनर्राशि (ग्रास एमाउन्ट) घटाया जाय न कि शुद्ध धनराशि (नेट एमाउन्ट) घटाया जाय। शुद्ध धनराशि के निर्गत करने के पूर्व यदि इस प्रकार की औपचारिकता नहीं पूरी की जाती है तब सम्बन्धित अधिकारी के साथ साथ खण्डीय लेखाकार या विभागीय सम्बन्धित कर्मचारी वित्तीय अनियमितता, आदेशों के उल्लघंन तथा सरकारी धन के दुर्विनियोग के आरोप में विधि अनुरुप दण्डित किये जायेगें।

(ग) अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य पूर्व की भांति कोषागार में बिल प्रस्तुत करके, आहरण वितरण सम्पादित किया जाय तथा अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय (यथा कार्यालय व्यय, पेट्रोल/गाड़ी का रख रखाव आदि) के कार्य हेतु स्वीकृत साख सीमा से न किया जाय अन्यथा, वह वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय दुर्विनियोग का प्रकरण होगा।

(घ) पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप साख सीमा के उपभोग की अवधि निर्दिष्ट त्रैमास होगा। त्रैमास प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व बजट नियन्त्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डवार, योजनावार आवंटन का विवरण वित्त विभाग को साख सीमा निर्गत करने हेतु भेजा जाय क्योंकि वर्तमान में विभागों का संगठनात्मक स्वरुप स्पष्ट न होने के कारण वित्त नियन्त्रक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

(च) साख सीमा हेतु चैक बुक शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित की जायेगी तथा उसे कोषागार के माध्यम से निर्गत किया जायेगा। कोषागार स्तर पर चैक के रख रखाव, साख सीमा सम्बन्धी पंजियों का रख रखाव तथा प्रत्येक माह प्रत्येक प्रखण्ड/प्रभाग द्वारा निर्गत चैक (पेड/अनपेड) का कोषागार से निर्धारित तिथि पर मिलान करना अनिवार्य होगा। जब तक चैक बुक नहीं छप जाती पूर्व के चैक बुकों में उत्तर प्रदेश काटकर उत्तरांचल की मुहर लगायी जाये तथा कोषागार द्वारा स्टेट बैंक की सम्बन्धित शाखा को चैक बुक संख्या तथा उनके अधीन चैक संख्या शिरीज सूचित की जाय।

(छ) आवंटित बजट/साख सीमा के सापेक्ष वास्तविक व्यय विवरण से सम्बन्धित सभी अभिलेख (संकलित लेखा) महालेखाकार कार्यालय प्रेषित करना तथा प्रतिमाह महालेखाकार में पुस्तांकित आंकडों से शत–प्रतिशत मिलान करना अनिवार्य होगा। महालेखाकार से यह सूचना प्राप्त होने पर तथा इस आशय की पुष्टि होने पर कि समय से लेखा नहीं भेजा गया या उसका मिलान नहीं किया गया, ऐसे अधिकारियों के वित्तीय अधिकार समाप्त करने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(ज) प्रत्येक प्रखण्ड/प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ठीक पूर्व के माह के कुल आवंटित बजट के सापेक्ष कुल व्यय बजट मेनुअल के प्रपत्र–8 (बी0एम0–8) पर बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष को भेजेगें तथा एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह की 20 तारीख तक संकलित सूचना बी0एम0–12 पर महालेखाकार को तथा बी0एम0–13 प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भेजा जाये। पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुरुप यदि यह सूचना समय से नही भेजी जाती। तब सम्बन्धित अधिकारी के वेतन पर रोक लगा दिया जाये यदि दूसरे माह मे इसकी पुनरावृति हो तब ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

(झ) कोषागार अधिकारी साख सीमा की धनराशि के साथ साथ प्रत्येक माह प्राप्त बी0एम0–8 से कुल आवंटित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय का मिलान करेगें तथा प्रतिमाह अन्य इनपुट के साथ साथ इस प्रकार का

विवरण निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं को उपलब्ध करायेगें। निदेशालय स्तर पर सम्प्रेषण विभागों का भी बजट का संकलन कोषागारों से प्राप्त विस्तृत लेखे की भांति तैयार किया जाये।

3– साख सीमा की धनराशि को अन्यत्र (अन्य जनपद में या अन्य प्रखण्ड) आवंटन तब तक न किया जाये जब तक कोषागार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाये कि उक्त सीमा तक साख सीमा तथा सम्बन्धित योजना के सुंसगत लेखा शीर्षक के निश्चित स्तर पर धनराशि कम कर दी गयी है। इस प्रमाण–पत्र पर उल्लेख करते हुए ही अन्य कोषागार तथा सम्बन्धित प्रखण्ड/प्रभाग को पुर्नआवंटन आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाये जिससे बजट साहित्य के प्राविधानित धनराशि की सीमा में बजट आवंटन/साख सीमा तथा कार्यक्षेत्र की स्थिति स्पष्ट रहे।

4– महालेखाकार उत्तराचंल को सम्बन्धित प्रखण्ड/प्रभाग आवंटित बजट की प्रति उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रतिमाह उपलब्ध बजट के सापेक्ष योजना के अधीन मानक मद स्तर तक वास्तविक व्यय की सूचना भेजकर लेखे मिलान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

5– कोषागारों में बजट आवंटन के साथ प्राप्त साख सीमा प्राप्त होने की तिथि सम्मिलित करते हुए तीन कार्य दिवसों के अधीन परीक्षण तथा औपचारिकता सुनिश्चित करते हुए बैंक को साख सीमा सूचित करना आवश्यक होगा यदि कोषागार से अनावश्यक विलम्ब होता है तब ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जा सकती है।

6– विभागीय पर्यवेक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण के समय आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय हेतु बजट मेनुअल के अध्याय–15 के बिन्दुओं तथा अध्याय–19 में निहित सिद्धान्तों का अनिवार्य रुप से निरीक्षण आख्या में उल्लेख करें तथा उसकी प्रति वित्त विभाग एवं महालेखाकार को भी भेजी जाये।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथा 08 नवम्बर 2000 के बाद जमा डी0सी0एल0 की सीमा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक भुगतान प्राधिकृत किया जायें।

भवदीय

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव

संख्या 005/अ.स.वि (कैम्प)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण, उत्तराचंल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराचंल।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराचंल।
4. महालेखाकार, (ले0एंवहक0) उत्तराचंल इलॉहाबाद।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या 615 /वि0अनु0-3/2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग-3

देहरादूनः दिनांक : 13 नवम्बर, 2002

विषयः- विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात नियंत्रकों को सी0सी0एल0 निर्गत करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्त नियंत्रक की तैनाती न होने के कारण वित्त विभाग द्वारा खण्डवार /सीमावार साख सीमा निर्गत करने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-055/अ0सं0 वि0(कैम्प) /2001 दिनांक 3-1-2001 द्वारा दी गई थी। चूँकि अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्त नियंत्रकों की तैनाती कर दी गई है अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सी0सी0एल0 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में नियुक्त वित्त नियंत्रक अथवा वित्तसेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा सीधे जनपद में खण्ड प्रभाग को जारी की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

(1) सी0सी0एल0 सम्बन्धित खण्ड/प्रभाग/निदेशन प्रभाग की मांग पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के बजट आवंटन के आधार पर जारी की जायेगी।

(2) लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग में सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में निम्नवत जारी की जायेगीः-

प्रथम त्रैमास	- 35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	-15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	-35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	-15 प्रतिशत

(3) वन विभाग /जलागम, प्रबन्धन निदेशालय में सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में निम्नवत जारी की जायेगीः-

प्रथम त्रैमास	– 20 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	– 25 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	– 40 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	– 15 प्रतिशत

(4) सी0सी0एल0 जारी करने के पूर्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जायेगा।

(5) वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथास्थित द्वारा जारी सी0सी0एल0 के माहवार व्यय/ अवशेष की समीक्षा उनके स्वयं के द्वारा की जायेगी।

3– जिला योजनाओं के सम्बन्ध में भी साख सीमा उपरोक्तानुसार जारी की जायेगी।

4– राष्ट्रीय राज्य मार्गों तथा अन्य ऐसे कार्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे जाते है और जिनके भुगतान की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, की सी0सी0एल0 प्रमुख अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में नियुक्त वित्त नियंत्रक द्वारा नियमानुसार जारी की जायेगी तथा प्रतिपूर्ति हेतु दावों का संप्रेषण समय से सुनिश्चित किया जायेगा।

5– लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के आय–व्यय प्राविधान के भाग–4 के अन्तर्गत दर्शाई गई समस्त वसूलियों तथा प्रोराटा प्राविधानों की कोई सी0सी0एल0 जारी नहीं की जायेगी।

6– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेगे कि:–

(1) सी0सी0एल0 की मांग, पूर्व निर्गत सी0सी0एल0 के उपयोग, समायोजन, व्यय तथा अवशेष की सूचना सम्बन्धित खण्डों/ प्रभागों/ निदेशन प्रभागों से वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथा स्थिति को समय से मिलती रहे।

(2) सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों को उनके द्वारा उन कार्यो के लिए बजट का आवंटन कर दिया गया है जिसके लिए सी0सी0एल0 की मांग की गई है।

(3) किसी भी स्थिति में किसी एक कार्य के लिए जारी सी0सी0एल0 का उपयोग अन्य कार्य पर नहीं की जायेगी और सी0सी0एल0 सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों को आवंटित बजट की सीमा के अन्दर ही रखा जायेगा।

(4) सी0सी0एल0 का उपयोग सम्बन्धित त्रैमास / वित्तीय वर्ष में ही हो और किसी भी दशा में इसका उल्लंघन न होने पाये, किसी भी दशा में एक त्रैमास में

आवंटित साख सीमा के अवशेष धन का उपयोग अगले त्रैमास में बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। उक्त व्यवस्था नियमानुसार तथा सुचारू रूप से विभगाध्यक्ष द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसकी समीक्षा सम्बन्धित प्रभासकीय विभाग द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य की जाये।

7— सम्बन्धित कोषाधिकारी का यह दायित्व होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय में सी0सी0एल0 का आवटन प्राप्त होते ही उसे वे सम्बन्धित बैंक को अधिकतम तीन कार्य दिवसों के अन्दर अवश्य संसूचित करेंगे।

8— इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग के समस्त आहरण अधिकारियों को समुचित अनुदेश तत्काल निर्गत किए जायेंगे।

9— इस आदेश को वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यान्वित करने का दायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा, ताकि निर्माण कार्य अवरूद्ध न हो तथा विकास कार्यो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10— इस शासनादेश के आधार पर साख सीमा जारी करने से पूर्व शासन से जारी साख सीमा का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त केवल अवशेष उपलब्ध साख सीमा तक धनराशि खण्डों को आवंटित की जायेगी।

11— शासनादेश संख्या–005/अ0स0वि0(कुम्प)/2001, दिनांक 3 जनवरी 2001 में उल्लिखित अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेगीं तथा यह शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

12— वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथा समय किए जायेगें।

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या–615 /वित्त अनुभाग–3/2002 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— मंडलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/ देहरादून।

2— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।

3— समस्त विभागाध्यक्ष, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल, देहरादून।

6– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II उत्तरांचल, 5–ए थार्नहिल भवन इलाहाबाद। महालेखाकार कार्यालय उत्तरांचल ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, रोड, माजरा देहरादून।

7– चीफ एकाउन्टेन्ट, रिजर्व बैंक आफ इण्डया, सेन्ट्रल आफिस, मुम्बई ।

8– क्षेत्रीय प्रबन्धक/महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक देहरादून/नई दिल्ली।

9– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या 284 /XXVII(1)/2007

प्रेशक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 मई 2007

विषयः– **साख सीमा के समक्ष चैक द्वारा आहरण करने वाले विभागों (वर्क्स डिपार्टमेन्ट) के सी0सी0एल0 के सापेक्ष व्यय का विवरण नियमित रुप से एवं निर्धारित समय में उपलब्ध कराया जाना।**

महोदय,

कतिपय सम्प्रेषण विभागों हेतु साख सीमा (सी0सी0एल0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 005 अ0प0वि0 (कैम्प) / 2001 दिनांक 03 जनवरी 2001 तथा 615 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 13 अक्टूबर 2002 द्वारा अन्य प्रक्रियाओं के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया था कि साख सीमा निर्गत करते समय अनुदान संख्या, प्लान, नान प्लान, लेखाशीर्षक को पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाय तथा उसी के सापेक्ष व्यय पुस्तांकित किया जाय। पूर्व से स्पष्ट आदेश थे, कि साख सीमा के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (वित्तीय सांख्यिकी प्रकोष्ठ) उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मी, रोड़ देहरादून को प्रति माह निर्धारित तिथि पर भेजा जाय। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में यह सूचना वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को भेजी जाती थी। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सम्प्रेषण विभागों द्वारा (लोक निर्माण, सिंचाई, वन आदि) इस प्रकार की सूचना बजट साहित्य में दर्शाये गये लेखाशीर्षकों के अधीन निर्गत साख सीमा के सापेक्ष व्यय लेखाशीर्षकवार नहीं भेजा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रेषण विभाग (लोक निर्माण, सिंचाई, वन आदि) साख सीमा का बजट साहित्य के अनुरुप अनुदान संख्या से लेकर मानक मद स्तर तक के विवरण के अधीन जारी किया जाय तथा उसके ठीक पूर्व माह की स्थिति अगले माह की 03 तारीख तक अथवा अवकाश आदि होने पर विलम्बतम 05 तारिख तक निर्धारित प्रारुप (संलग्नक–1) पर एक प्रति संबन्धित कोषागार को, एक प्रति सीधे निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें (वित्तीय सांख्यिकी प्रभाग) को तथा एक प्रति अपने विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कोषागार द्वारा सम्प्रेषण विभागों के प्रभागों / प्रखण्डों से प्राप्त विवरण पत्रों की प्रारम्भिक जांच इस आशय से करेगें कि लेखाशीर्षक के जिन 15 डिजिट कोड में साख सीमा जारी किया गया था उसके सापेक्ष कितनी धनराशि के चैक निर्गत हुए तथा कितनी धनराशि का चैक आहरित किया गया। निर्गत चैक निर्गत साखसीमा से अधिक न हो। कोषागार द्वारा प्रत्येक विभाग के समस्त प्रखण्डों की संकलित सूचना अनुदानों के अधीन 15 डिजिट कोड में कम्प्यूटर पर सूचना तैयार कर उक्त सूचना इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं कागज दोनों माध्यम पर वित्तीय सांख्यिकी प्रभाग को मासिक लेखे के साथ उपलब्ध करायेगें। यदि प्रभाग / प्रखण्ड से समय से सूचना न प्राप्त हो तब उस

प्रभाग / प्रखण्ड को नोटिस देकर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी सूचित किया जाय, परन्तु कोषागार के मासिक लेखे इस कारण न रोके जाये कि कतिपय प्रखण्ड / प्रभाग से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुयी अपितु समय से लेखा अनिवार्य रुप से भेजा जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही नियमित रुप से, निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
सचिव वित्त

संख्या 284 /XXVII(1)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक।
4. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण, सिंचाई / ग्रामीण अभियन्त्रण / लघु सिंचाई एवं भूर्गभ जल विभाग उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल एवं गढवाल मण्डल, नैनीताल / देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. चीफ एकाउंटेट रिजर्व बैंक आफ इण्डिया सेण्ट्रल बैंक आफॅ मुम्बई।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक / महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक / देहरादून / नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव,

साख सीमा के समक्ष किये गये व्यय का मासिक विवरणः–

1. खण्ड का नाम –

2. खण्ड कोड संख्या –

3. जनपद

4. दूरभाष एस0टी0डी0 कोड दूरभाष न0

5 कोषागार का नाम –

6 कोषागार कोड स0 –

7 माह एवं वर्ष –

क्र0 स0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक (15 डिजिट) जिसमें साख सीमा निर्गत की गयी	माह तक स्थिति			
			आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
			निर्गत साख सीमा की धनराशि	निर्गत चैक की धनराशि	निर्गत साख सीमा की धनराशि	निर्गत चैक की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
आहरण वितरण अधिकारी
नाम –
मोहर –

संख्या 277 /XXVII(1)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून, दिनांक 01 जून/मई, 2010

विषयः–विभागों में शासकीय धनराशि को जमा करने के लिये पी0एल0ए0 खोला जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–158/XXVII(14)/2009 दिनांक 27 नवम्बर, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि को अनुदान के रूप में एवं अन्य मदों में स्वीकृत धनराशि जिसकी तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत न हो संस्था के पी0एल0ए0 खाते में जमा कर दी जाय तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार आवश्यक धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाय। पी0एल0ए0 के संचालन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण आहरण के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पी0एल0ए0 खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष योजना की समय सीमा, लागत, लक्ष्यों एवं लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही है। अतः स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विभागों द्वारा समुचित स्तर पर सघन मूल्याकंन/परीक्षण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या– 277 (1)/XXVII(1)/2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

संख्या-234 x-2-2010-12(20)/2010

सेवा में,

सुभाष कुमार
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

तथा

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 28 अगस्त, 2010

विषयः-वित्त नियंत्रक को सी0सी0एल0 निर्गत करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्बन्धी आदेश के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के संज्ञान में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-नि.66/3-12(समीक्षा) दिनांक 16 जुलाई, 2010 के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि शासनादेश सं0-ए-2-311/दस-98-24(2)/98 दिनांक 29 जून, 1998 का सही interpretation वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त तथ्य के संज्ञान में आने पर सम्यक परीक्षणोपरान्त वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-615/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 13 नवम्बर, 2002 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग में सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में निम्नवत जारी की जायेगी तथा सी0सी0एल0 जारी किये जाने के सम्बन्ध में अन्य प्रक्रियाएं इस शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार की जायेगीः-

प्रथम त्रैमास	-	20 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	-	25 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	-	40 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	-	15 प्रतिशत

2- उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम त्रैमास के 20 प्रतिशत धनराशि एवं इसी प्रकार अन्य त्रैमासों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित एक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित आय-व्ययक में सी0सी0एल0 मद हेतु निर्धारित कुल आय-व्ययक के 20 प्रतिशत एवं इसी प्रकार अन्य त्रैमासों के लिए उनके निर्धारित प्रतिशतानुसार होगी तथा यह भी कि किसी भी दशा में पूरे वर्ष की सी0सी0एल0 एक साथ निर्गत नहीं की जायेंगी।

3- शासनादेश सं0--ए-2-311/दस-98-24(2)/98 दिनांक 29 जून, 1998 एवं शासनादेश सं0-615/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 13 नवम्बर, 2002 के सम्बन्ध में उक्त स्पष्टीकरण वित्त विभाग के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- सं0-234 (1)/x-2-2010, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या–476/XXVII(1)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. अपर मुख्य सचिव
एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव
एवं आयुक्त समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 08 सितम्बर, 2010

विषयः–राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–297/XXVII(1)/2008 दिनांक 07.04.2008 एवं शासनादेश संख्या–144/XXVII(1)/2009 दिनांक 19.02.2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों/निधियों द्वारा राज्य सरकार के प्राप्त अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के समक्ष प्राप्त धनराशियों तथा स्वयं की धनराशि अथवा सरप्लस फण्ड का शत प्रतिशत निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उसकी सब्सिडियरी बैंकों में ही किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2– उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में जिला सहकारी बैंकों की भूमिका के आलोक में राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के सरप्लस फण्ड को जिला सहकारी बैंकों में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन विनियोजित करने पर विचार किया जा सकता है–

I- सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा (11) का प्रतिपालन करता हो।
II- बैंक द्वारा गत् तीन वर्षो में प्रतिवर्ष लाभ अर्जित किया हो।
III- बैंक की नैटवर्थ धनात्मक हो।
IV- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधुनान्त निर्धारित पूंजी मानक (कैपिटल एडिक्वेसी नार्म्स) को पूरा करता हो।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ऐसे जिला सहकारी बैंक जो बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा (11) के प्राविधानों की पूर्ति करते हो उनकी सूची निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा 31 मार्च की वित्तीय स्थिति के आधार पर जारी की जायेंगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 476 (1)/XXVII(1)/2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, 1–न्यू कैंट रोड़, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक राज्य सरकार के निगम/प्रतिष्ठान, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश के प्रस्तर–3 के अनुसार जिला सहकारी बैंकों की सूची निर्गत करें।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

संख्या– 642/XXVII(1)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक : 08 दिसम्बर, 2010

विषयः–राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–297/XXVII(1)/2008 दिनांक 07–04–2008 संख्या 144/XXVII(1)/2009 दिनांक 19–02–2009 तथा संख्या–476/XXVII(1)/2010 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों/निधियों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के समक्ष प्राप्त धनराशियों तथा स्वयं की धनराशि अथवा सरप्लस फण्ड का शतप्रतिशत निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं उनकी सब्सिडियरी बैंकों तथा जिला सहकारी बैंकों में किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2–उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के शासनादेश संख्या– 7/96/2005–वी0ओ0ए0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2005 तथा दिनांक 6 मई, 2008 के आलोक में राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के सरप्लस फण्ड को इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (IDBI Ltd.) में विनियोजित करने पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के सरकारी संगठन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड से बैंकिंग सेवायें यथा सामान्य राजस्व का संग्रहण, दैनिक व्यवहरण एवं अन्य बैंकिंग सेवायें भी उक्त बैंक की कार्यदक्षता, सुविधायें एवं दरों को दृष्टि में रखते हुए अपने दायित्व के अधीन प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 642(1)/XXVII(1)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3–संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, 1–न्यू कैंट रोड, देहरादून।

4–प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक राज्य सरकार के निगम/प्रतिष्ठान, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।